

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

क्रमांक रीडर/2025/3463

प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 05.12.25

अप्रार्थीगण

1 ओमप्रकाश 2 सरूपाराम पिसरान बींजाराम
3 गवरीदेवी पत्नी मगनाराम 4 चनणाराम 5
देराजाराम 6 दरियादेवी 7 मोहनलाल 8
रिडमलराम पिसरान नायकाराम 9 हभीदेवी
पत्नी नायकाराम 10 भोजाराम पुत्र रूगाराम
11 मरुआ देवी पत्नी अमराराम 12 लेहरी
पत्नी हरचन्द 13 समधा देवी पत्नी किशनाराम
14 केकू देवी पत्नी पैलादराम 15 जगदीश पुत्र
खेताराम 16 नखताराम पुत्र पैलादराम 17
नेपाल पुत्र खेताराम 18 नेहराराम पुत्र
पैलादराम 19 संगीता पत्नी खेताराम 20
हेमलता पत्नी खेताराम जाति मेघवाल निवासी
मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।


1 भेरसिंह 2.भोपालसिंह पिसरान रिडमलसिंह 3.
पनसिंह पुत्र लखसिंह 4.पदमसिंह 5.हाकमसिंह
पिसरान अगरसिंह 6.कोशलसिंह पुत्र दीपसिंह
जातियान राजपूत निवासीयान मारुड़ी तहसील
व जिला बाड़मेर 7.पटान खान पुत्र पोटल खां
जाति मिरासी निवासी मारुड़ी 8.शेम्भूराम पुत्र
चेतनराम 9.चेतनराम पुत्र कुष्टाराम जाति
मेगवाल 10.मोतीसिंह 11.फतेहसिंह पिसरान
अलसिंह 12.पूनम कंवर पत्नी सरूपसिंह 13.
सरूपसिंह पुत्र पदमसिंह 14.मानसिंह 15.
जीवराजसिंह पिसरान मंगलसिंह 16.मेहताबसिंह
पुत्र जेठमालसिंह 17.पपसिंह 18.बाबूसिंह
पिसरान कंवरराजसिंह 19.जबरसिंह पुत्र नीम्बसिंह
20.पदमसिंह पुत्र जेठमालसिंह 21.मोतीसिंह पुत्र
नीम्बसिंह 22.पदमसिंह पुत्र तगसिंह जाति
राजपूत निवासी मारुड़ी 23.मदनलाल 24.
उगमाराम 25.सोहनलाल 26.प्रेम कुमार पिसरान
रिडमलराम 27.कानाराम 28.नायकाराम 29.
शंकराराम पिसरान पूनमाराम 30.जोगाराम 31.
गोपाराम 32.गणेश कुमार पिसरान लूमभाराम
जातियान मेघवाल निवासीयान गोर्धनपुरा
मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :- 298/2025

दिनांक- 26.11.2025

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा मारुड़ी पटवार हल्का मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या
255 रकबा 2.8247 हैक्टेयर, खसरा संख्या 252 रकबा 0.1619 हैक्टेयर, खसरा संख्या 65 रकबा 4.6296
हैक्टेयर भूमि मौजा गोर्धनपुरा पटवार हल्का मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 101
रकबा 7.5190 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाड़मेर को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में
खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.
08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये
1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर
अदा किया जावेगा।



(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

दिनांक- 05.12.25

क्रमांक :- रीडर/2025/3464 - 3467

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाड़मेर पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मारुड़ी तहसील बाड़मेर को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. ओमप्रकाश पुत्र बींजाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी मारुड़ी तहसील व जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी भेरसिंह पुत्र रिडमलसिंह वगैराह जाति राजपूत निवासी मारुड़ी बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,

उप बाड़मेर अधिकारी

बाड़मेर